

सूचना के अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
4.1.b अनुसार मेन्यूअल

खनिज साधन विभाग
मध्यप्रदेश

खनिज साधन विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभागीय जानकारी

बिन्दु क्रमांक 1 – विभागीय संरचना कार्य एवं दायित्व


खनिज साधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत संचालनालय एवं जिला कार्यालय के माध्यम से प्रदेश में स्थित समस्त विभागीय कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण, खनिज अन्वेषण की योजना तैयार कराना, तैयार योजना का क्रियान्वयन कराना, खनिज राजस्व प्राप्ति की मानीटरिंग। राज्य खनिज निगम के कार्यकलापों की मानीटरिंग। विधिमान्य नियमों के अन्तर्गत खनिजों के दोहन हेतु कार्यवाही कराना मंत्रालय स्थित अन्य विभागों एवं भारत शासन से समन्वय रखना।

बिन्दु क्रमांक 2 – अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी एवं दायित्व

क्र.	पदनाम	जिम्मेदारी एवं दायित्व
1	सचिव	1. मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियमों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री के निर्देश अथवा मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन करते हुये नीतिगत एवं अन्य प्रशासनिक प्रकरणों के बारे में निर्णय आदि को अंतिम रूप देना। 2. विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संचालनालय के माध्यम से खनिज अन्वेषण एवं खनिज प्रशासन संबंधी गतिविधियों की मानीटरिंग एवं आवश्यक निर्देश देना। 3. राज्य खनिज निगम के कार्यकलापों की मानीटरिंग।
2	अपर सचिव	प्रस्तुत विभागीय नस्तियों का परीक्षण उपरान्त टीप के साथ निर्णय हेतु सचिव को प्रेषित करना।
3	उप सचिव	प्रस्तुत विभागीय नस्तियों का परीक्षण उपरान्त टीप के साथ निर्णय हेतु सचिव/ अतिरिक्त सचिव को प्रेषित करना।
4	अवर सचिव	प्रस्तुत विभागीय नस्तियों का परीक्षण उपरान्त टीप के साथ निर्णय हेतु सचिव/ अतिरिक्त सचिव/ उप सचिव को प्रेषित करना।
5	अनुभाग अधिकारी	1. शाखा का नियंत्रण। 2. सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव द्वारा दिये निर्देशानुसार संबंधित सहायकों से नस्ती प्रस्तुत कराना एवं अपनी टीप के साथ प्रेषित करना।
6	सहायक ग्रेड-1,2 एवं 3	1. नस्तियों का संधारण। 2. पत्रों का प्रस्तुतीकरण।
7	चतुर्थ श्रेणी	नस्तियों का लाना ले जाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।

बिन्दु क्रमांक -3

निर्णय प्रक्रिया का क्रम



बिन्दु क्रमांक -4

खनि रियायत प्रकरणों का निराकरण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनि रियायत नियमावली, 1960, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के प्रावधानों एवं गौण खनिजों की खनि रियायतों के आवेदन पत्रों का निराकरण मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अन्तर्गत किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक –5

अधिनियम,नियम,रेगुलेशन तथा मैनुअल –

1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम,1999
3. कोल धारित क्षेत्र (अधिगृहण एवं विकास) अधिनियम,1957
4. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959
5. वन संरक्षण अधिनियम –1980
6. खनि रियायत नियमावली –1960
7. म0प्र0 गौण खनिज नियमावली-1996
8. खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 1988
9. ग्रेनाइट (संरक्षण एवं विकास) नियम 1999
10. आईल फील्ड रेगुलेशन एंड डेव्हलपमेंट एक्ट

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सामान्य नियंत्रण हेतु जारी नियम, निर्देश एवं मैनुअल ।

बिन्दु क्रमांक –6

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अभिलेख नस्तिर्यो :-

- (1) रिकोनेसेन्स परमिट के आवेदन पत्र ।
- (2) पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र का अंतिम निराकरण ।
- (3) खनि पट्टा के आवेदन पत्रों का अंतिम निराकरण ।
- (4) उत्खनिपट्टा हेतु प्राप्त प्रकरणों का निराकरण ।
- (5) स्थापना संबंधी प्रकरणों का निराकरण ।
- (6) आडिट संबंधी कार्य ।
- (7) विधानसभा/लोक सभा एवं राज्य सभा प्रश्नों पर कार्यवाही ।
- (8) विभाग से संबंधित नियमों/अधिनियमों बाबत् कार्यवाही ।
- (9) भारत सरकार से पत्राचार संबंधी कार्य ।

बिन्दु क्रमांक – 7

1. विभागीय परामर्शदात्री समिति ।
2. खनिज सलाहकार मण्डल ।
3. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री ।
4. सतर्कता समिति ।

बिन्दु क्रमांक - 8

जानकारी निरंक है।

बिन्दु क्रमांक - 9 एवं 10

खनिज साधन विभाग (मंत्रालय) में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	निवास का पता	परिलब्धियां
1	डा. देवराज बिरदी	सचिव	डी- 4/13, चार ईमली भोपाल.	वेतन भुगतान राज्य खनिज निगम से
2	श्री आर.पी. लौवंशी	अनुभाग अधिकारी	जी- 2/178, गुलमोहर कालोनी, भोपाल	14250/-
3	श्री राजन्द्र श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-1	एफ- 120/3, शिवाजी नगर, भोपाल	11250/-
4	श्री एस.सी. साकल्ले	सहायक ग्रेड-1	एच- 1/338, 1100 क्वार्टस भोपाल	9383/-
5	श्री एम.के. खले	सहायक ग्रेड-2	एच. 172, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	8825/-
6	श्री अशोक कुमार राघव	सहायक ग्रेड-2	जी. 32, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	8360/-
7	श्री इन्दर कुमार बच्चानी	सहायक ग्रेड-2	87ए/38, तुलसी नगर, भोपाल	8360/-
8	श्री सुनील उपाध्याय	सहायक ग्रेड-3	एफ-1, राहिल होम, पटेल नगर, भोपाल	6155/-
9	श्री एल.एस. धुर्वे	सहायक ग्रेड-3	572, (आर.बी.तिवारी का मकान) पंचशील नगर, भोपाल	6092/-
10	श्री गणेश सिंह	सहायक ग्रेड-3	आई-5/51, 228 क्वार्टस, साउथ टी.टी. नगर भोपाल	6155/-
11	श्री कृष्णा प्रसाद	भृत्य	आई. 3, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	5700/-
12	श्री मुन्नीलाल	भृत्य	आई- 105/42, शिवाजी नगर, भोपाल	5476/-
13	श्री विनोद चौधरी	भृत्य	एच.- 41, रामनगर कालोनी, शाहजानाबाद, भोपाल	4828/-

बिन्दु क्रमांक -11

1. खनिज साधन विभाग को स्थापना व्यय हेतु पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं होता है।
2. संचालनालय के अंतर्गत स्वीकृत बजट हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म बजट नियंत्रण अधिकारी है। बजट की स्थिति संचालनालय की जानकारी में उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक -12

विभाग में सब्सिडी का कोई कार्यक्रम नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -13

विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले खनि रियायतों, के अनुबंध जिला कार्यालय में किये जाते हैं। रिकोनेसेन्स परमिट एवं पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के अनुबंध निष्पादन संचालक द्वारा किये जाते हैं। उक्त सूचियां संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

बिन्दु क्रमांक -14

निरंक

बिन्दु क्रमांक -15

निरंक

बिन्दु क्रमांक -16

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

बिन्दु क्रमांक -17

1. सभी नियम/अधिनियम/संशोधन आदि राजपत्र में प्रकाशित किये जाते हैं।
2. विभाग द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारी संबंधित पक्षकारों को दी जाती है।